



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269028
CG-DL-E-02012026-269028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5934]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5934]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6144(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4976 तारीख 03/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965 के कि.मी. 59.000 से कि.मी.117.000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.11.2025 " को "लोकमत (मराठी)" और " इंडियन एक्सप्रेस (इंग्रजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965 के कि.मी. 59.000 से कि.मी.117.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मालशिरस					
गांव का नाम: माण्डवे					
1	976	निजी	एग्रीकल्चर	0.0395	शंकर तात्याबा गोरे, लताबाई तुकाराम सस्ते, विजय विठ्ठल गायकवाड़, शंकर निवृत्ति शिंदे, अप्पा जगु ढगे, ऑंदर राईटस - गोपाल निवृत्ति शिंदे, तुकाराम एकनाथ सस्ते, मांडवे वि.का. स सेवा सो. मांडवे 976
गांव का नाम: वेलापूर					
2	1112	निजी	एग्रीकल्चर	0.1952	संगीता शाहाजी पनासे पाटिल, विलास शंकर पनासे, सुधीर शंकर पनासे, वनिता शंकर पनासे, पार्वती शंकर पनासे, नवनाथ गजेंद्र कोळेकर, रावसाहेब कोंडिबा साठे, भाऊसाहेब कोंडिबा साठे, सोमनाथ कोंडिबा साठे, राजाबाई कोंडिबा साठे, अशोक अंकुश कळसाईत, दत्तात्रय अंकुश कळसाईत, कल्पना नंदकुमार कळसाईत, गायत्री नंदकुमार कळसाईत माइनर लेगल गार्डियन कल्पना, अमृता नंदकुमार कळसाईत माइनर लेगल गार्डियन कल्पना, गौरव नंदकुमार कळसाईत माइनर लेगल गार्डियन कल्पना, मारुती कालीदास पनासे, ऑंदर राईटस आईसीआईसीआई बैंक एल्टीडी. ब्रांच अकलूज 1112

3	1535	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0015	जगदीश बाळासो कुलकर्णी 1535
Total				0.2362	

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALKHI MARG/LA/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 6144(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4976 Dated:03/11/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH965 in the stretch of land from Km. 59.000 to Km. 117.000 in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat (Marathi)” and “the Indian Express (English)” both dated 25.11.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH965 in the stretch of land from Km. 59.000 to Km. 117.000 in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Malshiras					
Village: Mandave					
1	976	Private	Agriculture	0.0395	Shankar Tatyaba Gore, Latabai Tukaram Saste, Vijay Vitthal Gaikwad, Shankar Nivrutti Shinde, Appa Jagu Dhage, Other Rights- Gopal Nivrutti Shinde, Tukaram Eknath Saste, Mandave Vikas Seva So. Mandave 976
Village: Velapur					
2	1112	Private	Agriculture	0.1952	Sangita Shahaji Panase Patil, Vilas Shankar Panase, Sudhir

					Shankar Panase, Vanita Shankar Panase, Parvati Shankar Panase, Navnath Gajendra Kolekar, Ravsaheb Kondiba Sathe, Bhausaheb Kondiba Sathe, Somnath Kondiba Sathe, Rajabai Kondiba Sathe, Ashok Ankush Kalsait, Dattatray Ankush Kalsait, Kalpana Nandkumar Kalsait, Gayatri Nandkumar Kalsait Minor Legal Guardian Kalpana, Amruta Nandkumar Kalsait Minor Legal Guardian Kalpana, Gaurav Nandkumar Kalsait Minor Legal Guardian Kalpana, Maruti Kalidas Panase, Other Rights ICICI Bank LTD. Branch Akluj 1112
3	1535	Private	Non Agriculture	0.0015	Jagdish Balaso Kulkarni 1535
Total				0.2362	

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALKHI MARG/LA/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director